कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर 2022

/14–1 दिनांक, कानपुर, दिसम्बर, 12/ पत्रांक

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

विषयः--

ত০ায়০ লেভান্জ जनपद--कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 इटावा–चकेरी मार्ग (NH-19) किमी0 450.96 से 453.07 तक बिछायी जा रही गैस पाईप लाइन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। आपका पत्रांक 11सी-2016 / एफ0पी0 / यू०पी0 / पां०ला0 / 52661 / 2020 दिनांक05.01.2022 ।

सन्दर्भः– महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 की पत्र संख्या–238/81–2–2021–800(194)/2021 दिनांक 31.12.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कराकर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर ने अपने पत्रांक 1634 / 14–1 दिनांक 05.12.2022 से उपलब्ध करायी है। उक्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर मूल में वचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं आनलाइन पेमेन्ट हिस्ट्री तथा समस्त अभिलेखो की 03-03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषितः--

क० सं०	समस्त शर्ते	अनुपालन आख्या
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सङ्को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	शर्त संख्या 3, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लिं0 द्वारा अनुरक्षण को कीय सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का खामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या—566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ0सी0, दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति	payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण (Compensatory Afforestation Fund Management

osc:spcial/Letter. Dec 2022

		formation and and
	पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना	and Planning Authority) उ०प्र०, एन०ई०एफ०टी० के द्वारा
	प्राधिकरण (Compensatory Afforestation	कैम्पा, खाता संo–CAMPAUP7252661260 आईo एफo एसo सीo कोड़– UBIN0534498, "यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च–52,
	Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से	सा० काड़- OBIN0534498, धूनियन पुरा रा रा रा का जा ग व्या सुन्दर नगर नई दिल्ली पिनकोड–110003 के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित
	Authority). न पर्ना पर्वात के नाव्यन से जमा की जायेगी।	चन्त्र की मगी है।
-	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से	कर्म नांच्यम ४० के असपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लिं0 द्वारी कार्य प्रारम्भ
0	पूर्व भूस्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हा
1	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत	शर्त संख्या 11, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्राo लि0 के पास वैध व
- 1	लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम	अधिकृत लाइसेंन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त
8	स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	<u> </u>
	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007	ह। शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित
2	एफसी (पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा	परियोजना में लागू नहीं है।
	पत्र संख्याJ-11013/41/2006-IA-II(I),	
	दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार	
	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से	
	पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने,	
	यदि लागू है तो (if applicable), कार्य	
	प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य	
	जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ्	
	नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से	
	अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गय	r
	8	
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिका	र शत संख्या 13, के अनुपालन ने टोर्स्ट गरा प्रार्थ राज वर्त रहा जातने 1 की वचनबद्धता दी जाती है कि वन अधिकार अधिनियम–2006 के
	अधिनियम–2006 के अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत	न भूच्चर्मन सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र सलग्न कर
	करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत	न किया जगोगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एव
	प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित	त आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते
	नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिव	p 菅
	कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होत	∄ ,
	हैं।	के शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली व
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली व पत्रांक 11—9/98—एफसी, दिनांक 08.01	7 प्रत्यांक 11—9 / 98—एफसी दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशी—ानदेश
	2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसा	ज के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किय हु-
	राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वा	रा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा मानचित्र जिसमें वन सामाओं को विश
	प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीट	ल डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में सलग्न कर दिय
	डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें व	न गया है ।
	सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल	में
	दर्शाया गया।	में शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क सम्मलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायलय	चे । सम्मतित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा० उच्चतम् न्यायलय
	अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवा	
	कर ली गयी है।	
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्रा	प्त शर्त संख्या 16, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आए
10	करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कि	या कि वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वधानिक/प्रशासानक अनापा
	जायेगा।	प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। या शर्त संख्या 17, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा इस आश
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछा	
	जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्व वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0	
	वन विभाग के पक्ष में एन०पा०पा० भुगतान किया जायेगा।	के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।
	Juli internet offering	
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर के	
	सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों ह	तरा की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समयसमय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों
	दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्ता	क कन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ नाण प्यापराया बारा विष नय नय नय । अनुपालन टोरेन्ट गैस प्राठ लिंठ द्वारा किया जायेगा।
	विभाग द्वारा किया जायेगा।	
1		

19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01. 2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:–	शर्त संख्या 19, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07. 01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकिंत 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:
	(1) सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति पर्वेश में कियी परक ज्यान पर 20 किमी0	(1) सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक रथान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है।
	प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगंने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/ संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	स्वयं उत्तरदायी होंगे।
	नत—राशोपरि	

सलग्नक–यथापार

(कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

भवदीय

संख्याः 1728 अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपिः—प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर को उनके पत्रांक 1634 / 14–1 दिनांक 05.12.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि– प्रबन्धक परियोजना टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 एच.आई.जी.–आईबी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

der, (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर पत्रांक 713 /141 ^{कानपुर, दिनॉक, 05.9}– 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

सन्दर्भः– सचिव उ०प्र० शासन की पत्र संख्या पी 238/81–2–2021–800 (194)/2021 दिनांक 31.12.2021 एवं आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2377/14–1 दिनांक 26.01.2022।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण, प्रबन्धक परियोजना, टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0, एच.आई.जी.–आईबी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर ने इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। प्रश्नगत प्रकरण की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है, जिसकी 04 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित हैं।

क्रम				
संख्या	शर्ते	अनुपालन की स्थिति		
1	014-11	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, सम्बन्धी वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
2	जावकारवारिता में प्रयुक्त रास्ता के किनार — किनार ही विछाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित भूमिगत पाइपलाइन/मार्गा/ सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही विछाये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित पाइप लाइन हेतु खेदी गई ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी, वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित स्थानीय नियमों के अधीन वन् विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
6	वन भूमि के उपयोग के वाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के वारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में लिखित सहमति दी जायेगी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।		
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	न प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित अनुरक्षण का कार्य सम्पाद से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जाये वचनवद्धता प्रभाण पत्र संलग्न है।		

	1		
	8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् वना रहेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा । वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या–566 एवं भारत सरकार के पन्न संख्या–5–3 / 2007–एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित Online, forest clearance.nic.in IJ e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा माo उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सीo दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकारण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, एन०ई०एफ०टीo के द्वारा कैम्पा, खाता सं0–CAMPAUP7252661260 आई0 एफ0 एस0 सीo कोड़– UBIN0534498, ''यूनियन वैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च–52, सुन्दर नगर नई दिल्ली पिनकोड–110003 के पक्ष में ऑन लाइन चालान की प्रति, वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वैध व अधिकृत लाइसेंन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	12	भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007 एफसी (पीटी). दिनांक 19—8—2010 तथा पत्र संख्या—J- 11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
1	3	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत समवन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्वित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम– 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया जायेगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। ।
1	4	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन	प्रस्तावक विभाग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष

1			
1		सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	संलग्न कर दिया गया है ।
	15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित है, तो माo उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा० उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं
		समस्त वैधानिक∕प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित परियोजना में गैस पाइप लाइन विछाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान ऑन लाइन कर दिया गया है चालान की प्रति संलग्न है।
	18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार⁄राज्य सरकार⁄मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं: (1) सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगंने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के दवारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के आतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं: (1) सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी
		2	परिया प्रिया प्रश्नगत आदेश मुख्य वन

L

वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। स्वयं उत्तरदायी होंगे।
--

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग र्श्व कानपुर

संख्या 13 / समदिनॉकित।

प्रतिलिपि— प्रबन्धक परियोजना टोरेन्ट गैस प्राo लिo एच.आई.जी.–आईबी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर को उपरोक्त के कम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर आन लाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

0/L

मार यादव) (अरविन्द प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग क्रिकानपुर

Scanned by CamScanner

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर।

- विषयः— जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्राo लिo, द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एनoएचo—19) किमीo—450.96 से 453.07 तक बिछायी जा रही गैस पाइप लाईन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हेo संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। **(प्रस्ताव संo एफपी/यूoपीo/पाइपलाइन/52661/2020)**
- सन्दर्भ– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक संख्या–238/81–2–2021–800 (194)/2021 दिनांक 31.12.2021

क्रम		
संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
 1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन / मार्गो / सड़कों / वर्तमान अधिकारधारिता में
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे। शर्त संख्या 3, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लिं0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लिं0 द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू–क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्ते संख्या 6, के अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शत संख्या 7, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भमि का
	Succession of the second	und m

1		
0	रितायक विभाग त्या गाउ	रहेगा।
16	ास्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायलय के रिट पेटीशन (सिविल) 200 (1997)	शर्त संख्या ० ->
Valley.	गिर्ना (सायल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए०	शर्त संख्या 9, के अनुपालन में Online, forest
100		clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्राo लिंग दारा गर
X	$\pi c (1 - 5 - 3 / 2007 - \overline{\nu} \overline{v}_0 \overline{v}_0)$	टोरेन्ट गैस प्राo लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 (1005 के
	JS-U2-2009 के तहत दिये गये आनेमान	गंग हरूर जानेता 202/ 1995 के अन्तर्गत आदेतमत
100		
	סוים טיוחים בנונה עותעות חוידים היי	5-3/2007-VUD ETTE 05 00 0000 ->
	प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Component	
14	Anorestation Fund Management And plant	
1 1	त्रवताठातिए). न वन विभाग के माध्यम से जमा की	
	जायेगी।	Compensatory Allorestation Fund Management
		אייאו, שומו אס–CAMPAUP7252661260 מדלה
		(१९०० ९२१० २१० कोड– UBIN0534498 "मनिमन केंद्र
		जाफ इण्डिया, ब्रान्च–52 सन्दर नगर नर्ट दिन्नी
		1999 में जिन्हें के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी
0	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व	गयी है।
	भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना	
	BITT	द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापर्त्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
1	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स	याते संख्या 44 के अन्यपनन में सीन के ना कि
	हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का	इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस
	अनुमोदन प्राप्त हो।	प्राo लिo के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार
		करने का सक्षम स्तर का अनमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007 एफसी	शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती
	(पीटी), दिनांक १९–८०१० तथा पत्र संख्या–J-	अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
	11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर,	
	2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ	
	करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने,	
	यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने	
	के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय	
	अनापत्ती / अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से	
	स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड	
	लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	
	गया है। प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के	र शर्त संख्या 13, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लि0
13	अन्तर्गत समबन्धित जिले के जिलाधिकारी का	दिवारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन
	प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम	ा आधकार आधानयन-2006 के जन्मनात राजान्यत गणत भ
	के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भा दाव	
	लस्थित नहीं है एवं आदिम जनजात/प्रारामक	
	कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	Siller of foliary and the 2 S
		प्रभावित नहीं होते हैं। शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक	1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
-7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	र कि गो दिया-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार
	दिशा–निर्देशों के अनुसार रोज्य संस्थार प	त के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुय भू–संदाभत
	दिशा—निदशा के अनुसार राज्य सार्य भू-संदर्भित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन्	0.0 जना राजा / मानचित जिसम वन सामाजा पर परान
	डिजीटल डाटा / मानायत्र अत्पुरा नेय	त डिजटिल डोटा मानावत्र रिडाय त डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में
	डिजीटल डोटा मानायत्र त्ररखुः सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाय	्रसंलग्न कर दिया गया है ।
	गया। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल्लापार्क	्रसलगन कर दिया भवा ए । में शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि
15	यदि प्रश्नगत भूमि सन्धुरा/ परापति क	Nº in -
	Alto	fri
	VILLE	
	ý –	
		Soonnad by Com

Scanned by CamScanner

1	सम्मलित है, तो माo उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनमति पाप्त करने की उन्हर्भन	
A	समस्त वैधानिक / प्राप्तपतिक कर ली गयी है।	सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। शर्त संख्या 16, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	पंचानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। शर्त संख्या 17, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्ताविन
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र	पोरयोजनी में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया गया है।
- 10	सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 18, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/माo न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं: (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली	शर्त संख्या 19, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:
	ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप	से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है।
	लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार दवारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगंने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के दवारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की	(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तो का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।
	रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश	(3) उक्त श्रव्य अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदर्भ किया अरुपगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन
		(101 atom

H T	आने पर मुख्य वन वयं उत्तरदायी होंगे।	संरक्षक / नोडल	अधिकारी	रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निग भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु प अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिका होंगे।	र तथ्य छुपाये जाने य प्रकाश में आने पर

C.S

Aw) (अरविन्द कुमार यादव) प्रभागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग कानपुर

(प्राधिकृत् इस्ताक्षरकत टोरेन्ट जैस प्रा0 लि0

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०—19) किमीo— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का जल्लंधन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

CS

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०–19) किमीo– 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

C.S

(अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग र कानपुर

beenst (प्राधिकृत हस्ताक्षर टोरे

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन0एच0–19) किमी0— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु **टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0** वचनबद्ध है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों /वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।

CS

Air (अरविन्दं' कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

GA (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर टोरेन्ट रीस प्राट

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०—19) किमीo— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्ध है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।

Kerensk GASA (प्राधिक) हस्तास टोरे

C.S (अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग कानपुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमीo-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्व है कि टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

त हस्ताक

C S . (अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग किंकानपुर

Scanned by CamScanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा--चकेरी मार्ग (एन०एच०--19) किमीo-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्व है कि टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

1 (अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

(प्राधिक्रि हस्ताक्ष टोरे

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमीo-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारें में टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

CS

(अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग क्रानपुर

(प्राह्य त हस्ताक्ष

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन0एच0—19) किमी0— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग कुकानपुर

Leest त हस्त



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०—19) किमीo— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

(प्राधिकृत

CS

Aii) (अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग कानपुर

शर्त संख्या 9 व 17

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०—19) किमी०— 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन०पी०वी०) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण की धनराशि रू0 97215.00 ई—चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं0	विवरण/मद	घनराशि (रू०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या—9 व 17 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 0.1015 हेo का संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य (957780 लाख प्रति हेo की दर से)/(एन0पी0वी0) व पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव/(सी०ए०)	97215.00 रूपये	एन.ई.एफ.टी.	04.03.2022	BARBD220633 91003
	योग-	97215.00 रूपये			N
				in he	4-

(प्राधिकत हस्त टोरे गैस प्रा0



AG	SENCY COPY	BANK COPY		
यूनियन बैंक	D Union Bank	यूनियन बैंक	Union Bank	
Stright Andhra	Corporation	Andhra		
NEFT / RTGS CH Date : 03-03-2022	HALLAN for CAMPA Funds	NEFT / RTGS Date : 03-03-2022	CHALLAN for CAMPA Funds	
Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE	Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE	
Application No.	7252661260	Application No.	7252661260	
MoEF/SG File No.	P-238/81-2-2021- 800(194)/2021	MoEF/SG File No.	P-238/81-2-2021- 800(194)/2021	
Location.	UTTAR PRADESH	Location.	UTTAR PRADESH	
Address.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI,AHMEDABADAhmeda	Address:	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI,AHMEDABAD Abmedabad	
Amount(in Rs)	97215/-	Amount(in Rs)	97215/-	
Fifteen Rupees Only	y-Seven Thousand Two Hundred and	Fifteen Rupees Only	be made as per following	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA	-		
IFSC Code:	UBIN0903710	Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA	
Pay to Account No.	150907252661260 Valid only for this challan amount.	IFSC Code: Pay to Account No.	UBIN0903710 150907252661260 Valid only for this challan amount.	
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch,	Bank Name &	Union Bank Of India	

Bank Name & Union Bank Of India Address: Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

S · This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only. An

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmatio (आर्थलिक कुमार यादव) Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in प्रमागीय निवेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रमाग Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been undated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to ORIVA Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR MO. BARB022063391003 Date:-04/03/22

Block 11,CGO Complex,

Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Phase I, Lodhi Road, New



Date	Beneficiary Name	RBI/UTR Reference Number		Beneficiary Account Number	IFSC Code
04-03-2022	UTTAR PRADESH CAMPA	BARBD22063391003	97,215	150907252661260	UBIN0903710

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०–19) किमी०– 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्राo लिo वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्राo लिo द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

CS

(अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग क्रूकानपुर





वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०–19) किमी०– 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेंन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

000 न हस्त

(\$ (अरविन्द सामाजिक

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जाएगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित

प्राधिकृत हस्त

प्रमावि<mark>त नहीं</mark> होते हैं।

cs

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०–19) किमी०– 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

CS

طسی (अरविन्द कुमार यादव) प्रभागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग रिकानपुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा--चकेरी मार्ग (एन०एच०--19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय--समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।

CS

لننک (अरविन्द कुमार यादव) प्रभागीय निदेशक सामाजिक बानिकी वन प्रमाग क्रिजनपुर

सिरकर्ता) मधिकृत हर লি০



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

स्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इटावा—चकेरी मार्ग (एन०एच०–19) किमी०– 450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:–

(1) सी0एन0जी0 / गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है।

(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।

(3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

CS

र्माणे (अरविन्द कुमार यादव) प्रभागीय निवेशक सामाजिक वानिकी वन प्रमाग रुकानपुर